प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5246/2007

याचिकाकर्ता: श्री एम.एल. अजगल्ले

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

निर्णय 23 फरवरी 2010 को घोषित किये जाने हेतु सूचीबद्ध किया जावे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस)क्र. 5246 वर्ष 2007

याचिकाकर्ता: श्री एम.एल.अजगल्ले.

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारत का संविधान

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के.अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रकाश तिवारी अधिवक्ता
राज्य शासन/ उत्तरवादीगण की ओर से श्री वाई.एस.ठाकुर,
उप महाधिवक्ता सहित पैनल अधिवक्ता श्री ए.वी.श्रीधर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(23 फरवरी, 2010 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 05.07.2006 (उपाबंध पी/14) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 01.08.2006 से प्रभावी तिथि के 'संचयी प्रभाव' से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि दिनांक 15.02.2005 को एक कारण बताओ नोटिस(उपाबंध पी/1)जारी किया गया था जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव था, इस आरोप कि याचिकाकर्ता को अपराध क्र. 102/2004 के एक मामले की जाँच सौंपी गई थी, जो राम भवन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया था। यह मामला उनकी पुत्री कु. नीलू सिंह के व्यपहरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान, याचिकाकर्ता ने व्यपहृत

लड़की को आरोपी/अपहरणकर्ता के निवास से बरामद किया गया था, किन्तु याचिकाकर्ता ने आरोपी को गिरफ्तार करने और आगे की कार्यवाही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नगर पुलिस अधीक्षक, उरला, रायपुर के दिनांक 25.01.2005 के निर्देश पर भी याचिकाकर्ता ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और आगे कोई अन्वेषण नहीं की और गंभीर कदाचारण और अवज्ञा की। याचिकाकर्ता ने 19.02.2005 को कारण बताओ नोटिस का जवाब(उपाबंध पी/2)प्रस्तुत किया,उसके जवाब पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक, रायपुर शहर, ने भविष्य के वेतन वृद्धि और पेंशन आदि पर प्रभाव डाले बिना एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया। पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर के समक्ष अपील में, पुलिस महानिरीक्षक ने दिनांक 17.10.2005 के आदेश (उपाबंध पी/4)के अध्यधीन एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोके जाने दंड को अभिखंडित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इसके बाद, उन्हीं आरोपों पर एक आरोप पत्र(उपाबंध पी/6)दिनांक 13.12.2005 को जारी किया जिसमें उस पर कदाचरण करते हुए, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन न करने तथा यह पता चलने के बाद भी कि कु.नीलू सिंह नामक लड़की का व्यपहरण लल्लन गिरि नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने के मामले में आगे न बढ़ने का आरोप लगाया गया। दूसरी बार निरीक्षण किये जाने पर भी लड़की नहीं मिली और अन्वेषण आगे नहीं बढ़ी। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा दिनांक 12.12.2005 को साक्षियों व दस्तावेजों की सूची सहित आरोप पत्र(उपाबंध पी/6)जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.12.2005 को एक पत्र(उपाबंध पी/7) भेजकर, पुलिस महानिदेशक द्वारा जांच के लिए पारित की एक प्रति, पुलिस स्टेशन उरला में पदस्थ प्रधान आरक्षक का नाम और उनके बयान की प्रति, उस

अधिकारी का नाम व उसका पदनाम जिसने पुलिस अधीक्षक, शहर का पत्र दिनांक 30.05.2004 प्रस्तुत किया, श्री जी एस.भाम्बरा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शहर (उरला) व उनकी वर्तमान पदस्थापना स्थान, नीलू सिंह के व्यस्क होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, मतदाता सूची में उनके नाम से संबंधित दस्तावेज तथा कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की। याचिकाकर्ता को 29.12.2005 को पत्र (उपाबंध पी/8)द्वारा सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सभी जानकारी विभागीय जांच के लिए सुसंगत नहीं है, इसलिए उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने 30.01.2006 को उपाबंध पी/9 द्वारा, सहायता हेतु एक अधिवक्ता की मांग की गई। याचिकाकर्ता को 02.02.2006 को उपाबंध पी/10 द्वारा सूचित किया गया कि छ.ग./म.प्र.पुलिस विनियम, 1861(संक्षेप में 'विनियम 1861') में अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 07.01.2006 को एक विस्तृत उत्तर(उपाबंध पी /11) प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि विभागीय जाँच दूषितता युक्त थी क्योंकि निष्कर्ष, प्रारंभिक जाँच के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं था। प्रारंभिक जाँच एक तथ्यान्वेषी जाँच थी और उसे,अन्वेषण को सही तरीके से पूरा न करने से, अपने आचरण के बारे में और कोई स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने आगे अनुरोध किया कि अनुसूचित जनजाति होने के नाते, याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 12.11.1997 के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का हकदार है। अन्वेषण पूरी होने के बाद, जाँच अधिकारी श्री वी.वी.एस.राजपूत, नगर पुलिस अधीक्षक, पुरानी बस्ती, रायपुर ने दिनांक 13.03.2006 को अपनी जाँच रिपोर्ट(उपाबंध पी/13) प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को अभियुक्त को गिरफ्तार न करने और व्यपहृत लड़की को ले जाने के कदाचरण का दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने मामले में उचित विवेचना नहीं की है। याचिकाकर्ता को जांच प्रतिवेदन के साथ 15.06.2006 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी, यानी पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर ने माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध, सिद्ध आरोप, गंभीर प्रकृति के थे और इस तरह, 01.08.2006 की तिथि से संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील को, पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश (उपाबंध पी/15) दिनांक 17.08.2006 के द्वारा, यह मानते हुए निरस्त कर दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया दंड उचित था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष दया-याचिका प्रस्तुत किया। उसे भी दिनांक 22.05.2007 के आदेश (उपाबंध पी/16) द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतएव, यह याचिका प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने तर्क दिया कि एक बार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उन्हीं आरोपों पर अधिरोपित किये गए दंड को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से विभागीय जाँच शुरू करने की स्वतंत्रता दिए बिना निरस्त कर दिया गया है, तो उन्हीं आरोपों पर नए सिरे से आरोप पत्र जारी करने के बाद, दूसरी नए सिरे से जाँच शुरू नहीं की जा सकती, जब दंड पहले ही अधिरोपित किया जा चुका हो। यह कानून की दृष्टि से गलत है तथा दंड अधिरोपण अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त व दूषित है। श्री तिवारी ने आगे यह भी व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता को सुसंगत दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए जैसा कि याचिकाकर्ता/अपचारी कर्मचारी ने दिनांक 20-12-2005 के पत्र द्वारा मांग की थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का मामला पक्षपातपूर्ण था और याचिकाकर्ता

विभागीय जाँच में प्रभावी ढंग से भाग लेने और अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अधिरोपण दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं, क्योंकि यह एक दीर्घ शास्ति है।

5. दूसरी ओर, राज्य शासन के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री श्रीधर के साथ उपस्थित हुए विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दो बार दंडित नहीं किया गया है, क्योंकि पहली सजा को अभिखंडित कर दिया गया था और कोई प्रभाव नहीं डाला गया था। तत्पश्चात, छ.ग.पुलिस विनियम 1861 के विनियम 270 के अध्यधीन अनुज्ञेय, संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का अलग दंड अधिरोपित किया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप, जो सिद्ध पाए गए हैं, गंभीर प्रकृति के हैं, अगर ऐसे अधिकारी को वर्दी में सेवा में अनुमति दी जाती है तो इससे समाज में अराजकता पैदा होगी और इसलिए, एक समग्र विस्तृत जांच शुरू की गई थी। इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अपचारी था एवं जांच करने में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और व्यपहृत लड़की को अपहरणकर्ता के कब्जे से मुक्त नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता द्वारा मांग किये गए दस्तावेज़ असुसंगत पाए गए थे, अतएव उनकी प्रतियां याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गईं थी। याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाह पेश करने तथा विभागीय जांच में पेश किए गए गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का पूर्ण अवसर प्रदत्त किया गया और इस प्रकार, की गई जांच न्यायसंगत एवं उचित थी तथा निर्धारित सांविधिक प्रक्रिया के अनुसार थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना, अभिवचनो और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. याचिकाकर्ता का यह संकथन/तर्क कि अनुशासनिक प्राधिकारी संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था, अस्वीकृत किया जावे, उसे सूबेदार, सहायक पुलिस अभियोजकों, पुलिस अभियोजकों, निरीक्षकों और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 'छ.ग.पुलिस विनियम 1861,के विनियम 214 और 215 में निर्दिष्ट कोई भी दंड देने का अधिकार है, सिवाय 'विनियम 1861',के विनियम 222 के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा से हटाने, पदच्यूति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के। वर्तमान मामले में, अधिरोपित दंड न तो सेवा से हटाने, पदच्यूति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति थी। तदनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड देने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं, जैसा कि 'विनियम 1861',के विनियम 214(iv) में निर्दिष्ट है। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र दिनांक 10-12-2008 में निर्देश दिया गया था कि पुलिस अधीक्षक को संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त निर्देश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वर्तमान मामले में, पुलिस उप महानिरीक्षक, जो पूर्णतः सशक्त हैं, ने संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड देते हुए, दंड का आदेश पारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के प्रथम आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किया गया था। पुलिस अधीक्षक को विनियमन 221 के तहत सहायक उप निरीक्षक के एक वेतन वृद्धि को एक वर्ष

की अवधि के लिए बिना संचयी प्रभाव के रोकने का दंड देने की शक्ति प्राप्त है। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर परिक्षेत्र, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। पुलिस महानिरीक्षक ने दिनांक 17-10-2005 के आदेश द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 2-3-2005 के आदेश को अभिखंडित कर दिया, जिसके अंतर्गत दिनांक 19-1-2006 से, वार्षिक वेतन वृद्धि को, संचयी प्रभाव के बिना रोक दिया गया था।

9. पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 02.03.2005 को आदेश (उपाबंध पी/3)को,अपील में, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बिना किसी अनुषंगिक लाभ के दिनांक 17.10.2005 आदेश (उपाबंध पी/4) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने पर कोई रोक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशगण ने **अधीक्षक (तकनीकी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आई.डी.डी.जबलपुर एवं अन्य विरुद्ध प्रताप राय**[11] मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्यधीन नए सिरे से न्यायनिर्णायिक कार्यवाही आरम्भ करने पर विचार करते हुए, निम्नानुसार मत अभिव्यक्त दिया:

"5....ऊपर उद्धृत अपीलीय कलेक्टर के आदेश के अवलोकनसे दो महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं:(1) अपीलीय कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश को गुण-दोष के आधार पर अपास्त या रद्द नहीं किया है, बल्कि केवल तकनीकी

शैथिल्यता, अर्थात् प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर रद्द

[1](1978) 3 SCC 113

किया है और इसीलिए अपीलीय कलेक्टर ने अपने आदेश में सोच समझकर "पूर्वाग्रह के बिना" शब्दों का प्रयोग किया है, (2)सहायक कलेक्टर ने 30 जून, 1969 के अपने आदेश में घड़ियों को अधिहरण करने का निर्देश दिया था और 250/-रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था और यदि अपीलीय कलेक्टर इस आदेश को पूर्णता व अप्रतिसंहरणीय रूप से अपास्त करने के लिए आशयित थे तो उन्हें अर्थदंड की राशि की वापसी और अधिहृत की गई संपत्ति को छोड़ने के लिए एक परिणाममिक आदेश पारित करना चाहिए था। यह तथ्य कि अपीलीय कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे कभी भी नए न्यायनिर्णायिक कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु आशयित नही थे, बशर्ते कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित हों। हमें ऐसा लगता है कि जब भी कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अमान्य घोषित किया जाता है, तो मामले का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता और नई कार्यवाही खुली छोड़ दी जाती है। केवल इतना किया गया है कि अंतर्निहित त्रुटि केकारण आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है, किन्तु कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सर्वोच्च न्यायालय ने **अधीक्षक (तकनीकी)** (पूर्वोक्त)मामले में अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि सहायक कलेक्टर के पास उत्तरवादी के विरुद्ध नोटिस जारी करने का पर्याप्त क्षेत्राधिकार था ताकि विधि अनुसार नए न्यायनिर्णायिक कार्यवाही आरंभ की जा सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने **असम राज्य एवं अन्य विरुद्ध जे.एन.रॉय बिस्वास** [2] मामले में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति दी :

"4. हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी शासकीय कर्मचारी यह तर्क नहीं दे सकता कि यदि किसी तकनीकी या अन्य उचित आधार, प्रक्रियात्मक या अन्य, के कारण, पहली जाँच या दंड या माफ़ी कानूनन अमान्य पाया जाता है, तो दूसरी जाँच शुरू नहीं की जा सकती।

13. वर्तमान मामले में, चूंकि मूल स्थिति को पुनःस्थापन करने का कोई निर्देश नहीं था, इसलिए दूसरी जांच आरंभ की जा सकती है।

14. याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.12.2005 के पत्र द्वारा मांगे गए प्रयोजनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के साथ सुसंगत दस्तावेजों की सूची पहले ही प्रदान की जा चुकी है, अर्थात (1) नगर[2] पुलिस अधीक्षक, उरला द्वारा जारी पत्र क्र. आर/सीएसपी/उरला/जेए/295/05 दिनांक 18.11.2005; (2)श्री जी.एस.बाम्बरा, तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक, उरला द्वारा जारी पत्र क्र. सीएसपी /उरला/राय/पार/18/05 दिनांक 28.1.2005; (3 रामभवन सिंह का कथन; (4)पुलिस अधीक्षक, नगर, रायपुर का पत्र क्र. एसपी/राय/नगर/रीडर/618/2004 दिनांक 30.5.2004; और (5)अपराध क्र. 102/04 पर दर्ज एफ.आई.आर.की प्रति।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज, जैसा कि उपर उल्लेखित है, सुसंगत दस्तावेज प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक द्वारा जांच के लिए पारित आदेश की प्रति, पुलिस स्टेशन उरला में तैनात हेड कांस्टेबल का नाम, उसके बयान की प्रति, पुलिस अधीक्षक, शहर का दिनांक 30.5.2004 का पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पदनाम, श्री जी.एस.बाम्बरा के बयान की प्रमाणित प्रति और उनकी वर्तमान पदस्थापना का स्थान और इसके अलावा क्या कु. नीलू सिंह ने वयस्कता की आयु

[2](1976) 1 SCC 234

प्राप्त कर ली है या नहीं, की प्रति मांगी है। याचिकाकर्ता ने विभागीय जाँच में कोई त्रुटि नहीं बताई है और इसलिए, जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उचित साक्ष्यों के विवेचन पर आधारित हैं। यह साक्ष्य न होने का मामला नहीं है।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विरुद्ध ए.के. चोपड़ा**[3] मामले में निम्नानुसार मताभिव्यक्ति दी है :

16. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस स्थापित स्थिति की अनदेखी की है कि विभागीय कार्यवाही में, अनुशासनिक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र निर्णायक होता है और यदि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपना निर्णय देने की शक्ति/और क्षेत्राधिकार भी होता है क्योंकि वह एकमात्र तथ्यों का अन्वेषण करने वाला प्राधिकारी होता है। एक बार साक्ष्य के अधिमूल्यन पर तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय सामान्यतः अपनी रिट क्षेत्राधिकारिता में उन तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि उसे यह न लगे कि दर्ज किए गए निष्कर्ष या तो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे या वे निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित और/या वैध रूप से असमर्थनीय थे। साक्ष्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता पर उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। चूँकि उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है, उच्च न्यायालय सामान्यतः न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपचारी के दोषिता के संबंध में, विभागीय प्राधिकारियों के निष्कर्ष के स्थान पर,अपना निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3](1999) 1 SCC 759

कर सकता है। जहाँ तक दंड या सज़ा अधिरोपण का संबंध है, जब तक कि अनुशासनिक या विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड या सज़ा या तो अननुज्ञेय हो या ऐसा हो कि वह उच्च न्यायालय की अंतःकरण को झकझोर दे, उसे सामान्यतः अपनी राय के स्थान पर कोई अन्य दंड या सज़ा प्रतिस्थापित नहीं की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ और खंडपीठ, दोनों ने इस सुस्थापित सिद्धांत की

अनदेखी की कि यद्यपि प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक पुनर्विलोकन लचीली रहनी चाहिए और उसका आयाम सीमित नहीं होना चाहिए, फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय को उन तथ्यों के निष्कर्षों की सत्यता से संबद्ध नहीं है, जिसके आधार पर आदेश दिए जाते हैं, जब तक कि वे निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा उचित रूप से समर्थित हों और ऐसी कार्यवाहियों के माध्यम से प्राप्त किए गए हों जिनमें प्रक्रियात्मक अवैधताओं या अनियमितताओं के लिए कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है जो उस प्रक्रिया को दूषित करती हैं जिसके द्वारा निर्णय लिया गया था। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के विरुद्ध नहीं होती, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की जाँच तक ही सीमित होती है। **चीफ कांस्टेबल ऑफ द नॉर्थ वेल्स पुलिस विरुद्ध इवांस** मामले में लॉर्ड हेल्शम ने यह मत व्यक्त किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी, निष्पक्ष व्यवहार करने के बाद, किसी ऐसे मामले पर, जिसके बारे में निर्णय लेने के लिए,उसे विधि द्वारा अधिकृत या बाध्य है, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो न्यायालय की दृष्टि में सही हो।"

"17.न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, बल्कि उस तरीके की समीक्षा है जिससे निर्णय लिया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का

प्रयोग करते समय न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यदि निर्णय प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के बाद लिया गया है और व्यक्ति को उसके विरुद्ध मामले में निष्पक्ष उपचार प्राप्त हुआ है, तो न्यायालय किसी ऐसे मामले में प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता जो उस प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो।"

17. **उ. प्र. राज्य एवं अन्य विरुद्ध मनमोहन नाथ सिन्हा एवं एक अन्य**[44] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति दी :"

"14.विभागीय जांच से निपटने में न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्यक्षेत्र इस न्यायालय के समक्ष आ.प्र.राज्य विरुद्ध चित्रा वेंकटराव के मामले में विचारार्थ आया और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था (एस सी सी पृ.562-63, पैरा 21 और 23-24)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21.....उच्च न्यायालय अनुच्छेद226 के अध्यधीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच करने वाले प्राधिकारियों के निर्णय पर अपील न्यायालय नहीं है। न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए चिंतित है कि क्या जाँच उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। दूसरा, जहां कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें जांच करने का कर्तव्य,सौंपे गए प्राधिकारी ने

[4](2009) 8 SCC 310

स्वीकार कर लिया है और जो साक्ष्य इस निष्कर्ष का उचित रूप से समर्थन करते हैं कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है, वहां साक्ष्य की पुनर्विलोकन करना और साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहां विभागीय प्राधिकारियों ने अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले क़ानूनी नियमों का उल्लंघन करके की है या जहां प्राधिकारियों ने साक्ष्य और मामले के गुण-दोष से इतर कुछ विचारों से या खुद को अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित होने की अनुमति देकर निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में खुद को असमर्थ बना लिया है या जहां निष्कर्ष पूरी तरह से मनमानापूर्ण व अनुचित है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। यदि जांच अन्यथा उचित ढंग से की जाती है तो विभागीय प्राधिकारी तथ्यों के एकमात्र निर्णायक होते हैं और यदि कोई कानूनी साक्ष्य है, जिन पर उनके निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता ऐसा मामला नहीं है जिसे अनुच्छेद 226 के अध्यधीन रिट के लिए कार्यवाही में उच् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार है। न्यायालय इसका प्रयोग अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं करता। किसी निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के विवेचन के परिणामस्वरूप प्राप्त तथ्यों के

निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में पुनः आरंभ नहीं किया जाता या न ही वे प्रश्नगत किये जाते हैं। किसी विधिक भूल को, जो अभिलेख पर स्पष्ट दिखाई देती है, रिट द्वारा संशोधित किया जा सकता है, परन्तु तथ्यात्मकत्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी संगीन क्यों न प्रतीत हो। किसी न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्ष के संबंध में, रिट जारी की जा सकती है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को अभिलिखित करते समय, न्यायाधिकरण ने ग्राह्य व सारवान साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या अग्राह्य साक्ष्य को भूल से स्वीकृत कर लिया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष पर असर डाला है। पुनः, यदि किसी तथ्य का निष्कर्ष बिना कोई साक्ष्य पर आधारित है, तो उसे विधि की भूल माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत और तात्विक साक्ष्य,निष्कर्ष को बनाये रखने के लिए अपर्याप्त या अन्यून हैं। किसी बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता या उपयुक्तता और उक्त तथ्यों से निकाले जाने वाले निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य क्षेत्राधिकार में हैं। देखें सैयद याकूब विरुद्ध के.एस.राधाकृष्णन।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"24. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया और अपने निष्कर्ष पर पहुँचा। उच्च न्यायालय का ऐसा करना उचित नहीं था। इस पहलू के अलावा कि उच्च न्यायालय

इस आधार पर तथ्यों के निष्कर्ष को दोष रहित ठहराता कि साक्ष्य पर्याप्त या अपर्याप्त नहीं है, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए परीक्षण नहीं जा सकता कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को उचित सिद्ध करे कि उत्तरवादी ने कृत्य नहीं किया था। न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों के लिए कारण बताए। उच्च न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इन निष्कर्षों पर नहीं पहुँच सकता। उच्च न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया और साक्ष्यों का पुनर्निर्धारित किया और फिर साक्ष्यों को साक्ष्यहीन मानकर रद्द कर दिया। यही वह बात है जो उच्च न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय नहीं करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. विधिक स्थिति सुस्थापित है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निर्णय के विरुद्ध नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है। न्यायालय निर्णय के गुण दोष पर निर्णय नहीं देता। उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे और जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की अपील न्यायालय के रूप में जाँच करे और अपने निष्कर्ष पर पहुँचे। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों को इस प्रकार परखने में गंभीर त्रुटि की, मानो वह

अपील न्यायालय हो। इस मामले पर विचार करते समय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण प्रत्यक्ष त्रुटि से आच्छादित है और हमारे विचार से, इस मामले पर विधि के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस संक्षिप्त आधार पर, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं।"

18. मामले के तथ्यों पर विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate